न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 98 / 2015

1 रेखा पुत्री लीलुराम पत्नी शिवराज जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 12 सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी दोबड़ा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 श्री भगवान पुत्र अमरसिंह।
2 बनारसी देवी पत्नी सुमेरसिंह समस्त जाति अहीर निवासी सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 निहालसिंह पुत्र रामकुमार।
4 जयपाल सिंह पुत्र रामकुमार।
5 अशोक पुत्र लालचन्द।
6 प्रमोद पुत्र हरपाल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
7 रमा पत्नी लीलुराम निवासी वार्ड नम्बर 12 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
8 अनिता पुत्री लीलुराम पत्नी लीलधर निवासी वार्ड नम्बर 12 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी वार्ड नम्बर 13 सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 सुनिता पुत्री लीलुराम पत्नी सुनिल निवासी वार्ड नं. 12 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी वार्ड नं. 19 बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दिनांक 16.07.2015 उनवानी श्री भगवान बनाम निहालसिंह मुकदमा नम्बर 84/2015 अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2015 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ के समक्ष अपनी भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 1.13 हैक्टेयर ग्राम कासनी की भूमि में जाने के लिए अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 9 की भूमि खसरा नम्बर 253 में से रास्ते की मांग का आवेदन पत्र पेश किया व तथ्य अंकित किये कि मै आपके उपखण्ड में भूमि धारण कर रखा खातेदार अभिधारी हूं और मै मेरे भू खण्ड में पहुच के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रयोजन के लिये अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 9 की जोत में रास्ता खोलने का आशय रखता हू और इसलिए मै राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा (क) की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन करता हूं। जो मातहत न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 29.04.2015 को बाद रिर्पोट पेश होने पर उसी दिन दर्ज किया जाकर तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार सुरजगढ़ के उक्त प्रकरण में जो तथ्य दर्ज नही है उन तथ्यो के मुताबिक रिपोर्ट मंगवाई गई तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.07.2015 वास्ते तलबी अप्रार्थीगण एंव इन्तजार मौका रिपोर्ट हेतु नियत की गई तथा फर्द मौका जांच रिपोर्ट जो हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 19.05.2015 को तैयार की गई तथा उक्त रिर्पोट मातहत न्यायालय में कब पेश की गई है इसका अंकन भी न्यायालय की आर्डरशीट में कही भी दर्ज नही है तथा दिनांक 16.07.2015 की तारीख पेशी हेतु जो अपीलांट व अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने तामील कुनिन्दा से मिलीभगत करके बिना अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 9 के घर जाये ही अपनी मन मर्जी से उक्त सभी व्यक्तियों की तामील इन्कारी से दिखाई है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 9 की तामील पर्याप्त मानते हुये उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 9 को बिना सुनवाई का अधिकार दिये ही उसी दिवस दिनांक 16.07.2015 को उक्त प्रकरण में वगैर अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 9 को सुने ही आलौच्य आदेश पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदन धारा 251ए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नही किया गया है। प्रभावित खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। नोटिसों की तामील सम्यक नही हुई है पुत्रियां शादीशुद्वा है पीहर में इनकारी की तामील विधि विरूद्व है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में ना तो यह अंकित है कि वांछित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर तक रास्ता उपलब्ध नही है, ना ही निकटतम रास्ता बाबत कोई अंकन है। नोटिस फर्जी रूप से तामील कराये गये है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि हमारे द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 251ए के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पेश किया गया है। अपीलांट के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति अपील में नही आये है क्योंकि वह सहमत है अपीलांट को भी इसकी भली भांती जानकारी थी। वैकल्पिक रास्ते बाबत अपील मिमों में कोई कथन नही किया गया है। निकटतम रास्ता दिया गया है। जो सींव ढोल के सहारे–सहारे है। तामील सम्यक होने से ही अन्य पक्षकारों ने अपील नही की है। जामबन्दी में अंकित खातेदारों को ही पक्षकार बनाकर नोटिस तामिल करवाये गये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 09 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में रेखा अपीलांट का नोटिस जारी किया गया है। इसकी पुस्त पर रेखा मौजुद मिलना नोटिस लेने से इन्कार करना एवं खुले मकान पर चस्पान्दगी की रिपोर्ट अंकन है किन्तु यह रिपोर्ट पटवारी द्वारा न तो सशपथ अंकित है, न ही तहसीलदार द्वारा सत्यापित है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन पेश होने के दिन ही अप्रार्थीगण की तामील से पूर्व ही तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मांगी गई है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधिक प्रकिया के विपरित एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के प्रतिकुल होने से विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर